संख्या– 1389 / 26–2–2010–3 मु0स0 / 2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 2010**

विषयः **उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण की प्रारम्भिक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित मेरे पत्र संख्या 1288 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010 दिनांक 23 अप्रैल 2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक विकास खण्ड के एक न्याय पंचायत के सर्वे की सूचना भरकर दिनांक 27.04.2010 तक उपलब्ध कराया जाना था। अभी तक मात्र 15 जनपदों की ही सूचना प्राप्त हुई है तथा अवशेष 55 जनपदों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिसके संबंध में शासन के 1366 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010 दिनांक 04 मई 2010 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को डाटा भेजने हेतु अनुस्मरण कराया गया है। जिन जनपदों का डाटा एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध हुआ है उसके परीक्षण से निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यानाकर्षण कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता हैः–

1. अधिकतर जनपदों से कुछ डाटा जंक डाटा के रूप में प्राप्त हो रहा है, यह ऐसे सर्वे फार्म का डाटा है जिनमें व्यक्ति का नाम आदि प्रारंभिक सूचना ही लिखी है किन्तु सर्वे फार्म के कालम 8 से लेकर 18 तक किसी भी कालम में कोई भी सूचना नहीं दी गयी है, इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से सर्वे टीम ने या तो सही सर्वे नहीं किया है तथा उक्त समस्त कालमों को ब्लैंक छोड़ दिया है अथवा सर्वे फार्म से डाटा इन्ट्री सही प्रकार से नहीं हुई है। अतः जंक डाटा में से प्रत्येक फार्म की सूचना को दुबारा चेक कराया जाय तथा सही सूचना भरकर इस जंक डाटा को सही डाटा में परिवर्तित कराते हुए जंक डाटा में शून्य की स्थिति लायी जाय। कुछ जंक डाटा इस प्रकार के भी हैं जो संभवतः मास्टर डाटा के सही रूप से प्रयुक्त न होने तथा 2–3 स्थानों पर डाटा इन्ट्री करने के कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है इस संबंध में कृपया मेरे पत्र संख्या 1288 / 26–2–2010–3 मु0स0 / 2010 दिनांक 23 अप्रैल 2010 का भी संदर्भ ग्रहण करें जिसमें कार्य प्रारंभ करने से

पहले यह अपेक्षा की गयी थी कि मास्टर डाटा को शत प्रतिशत जनपद स्तरीय डाटा से मिलान कर लिया जाय तथा एक ही मास्टर डाटा का प्रयोग प्रत्येक कम्प्यूटर पर किया जाय। यदि अलग–अलग सरवर्स के माध्यम से डाटा फीड कराया जा रहा है तो मास्टर डाटा को सर्वप्रथम पूर्णतया शुद्ध कर लिया जाय तथा उसी मास्टर डाटा को प्रत्येक स्थान पर प्रयोग किया जाय।

2. सर्वे फार्म के बिन्दु संख्या 14 जो भूमि से संबंधित है के संबंध में अधिकतर जनपदों से जो डाटा प्राप्त हो रहा है उसमें ऐसे परिवार जिन्हें बाहर रखा जाना है की सूची में भूमि संबंधी कारणों से बहुत ही कम परिवार बाहर दिखाये जा रहे हैं। यह स्थिति सामान्य प्रतीत नहीं होती है क्योंकि ग्रामों में सीमान्त कृषक से ऊपर की भूमि रखने वाले कई परिवार होते हैं जिन्हें योजना से बाहर रखे जाने के निर्देश हैं। अतः ऐसे परिवारों के नाम योजना से बाहर रखे जाने वाले परिवारों की सूची में प्रदर्शित होने चाहिए। अतः इस दृष्टिकोण से जो सर्वेक्षण किया गया है उसे पुनः देख लिया जाय एवं जो सर्वे अभी किया जाना है उसके संबंध में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निर्देश दे दिये जांय चूँकि भूमि संबंधी विवरण राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पास पूर्णतया उपलब्ध होता है अतः उनसे किसी प्रकार की लगती होने की संभावना नहीं है और यदि उनके स्तर से गलती होती है तो उसे जानबूझकर की गयी गलती मानते हुए सर्वे करने वाली टीम के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

3. सर्वे फार्म के बिन्दु संख्या 15 जो मकान की स्थिति से संबंधित है, के संबंध में कई जनपदों में सर्वे टीम द्वारा अधिकतर मामलों में फूस के मकान पर टिक लगाया गया है जो अधिकांश मामलों में सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि प्रदेश के लगभग सभी ग्रामों में गरीबों को या तो सरकारी आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं या जो गरीब व्यक्ति अभी भी मकान नहीं पाये हैं उनके मकान कच्चे खपरैल के हैं । फूस के मकान स्थायी रूप से रहने योग्य नहीं होते हैं अतः बहुत ही कम व्यक्तियों के पास इस प्रकार के मकान वर्तमान में पाये जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कच्चे मकान को फूस के मकान की श्रेणी में मानते हुए सर्वे फार्म के उक्त कालम में प्रविष्टि कर दी गयी है जो गलत है। इस संबंध में अपेक्षित सतर्कता बरती जाय तथा सभी सर्वे टीमों को कड़े निर्देश निर्गत किये जांय।

यद्यपि शासनादेश संख्या 1288/26–2–2010–3मु0स0/2010 दिनांक 23 अप्रैल 2010 में डाटा इन्ट्री करने वाली एजेंसी को सही डाटा भरने हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है किन्तु जनपद में सही डाटा प्रविष्टि कराने का उत्तरदायित्व जिले के अधिकारियों का है। अतएव जिलाधिकारी से अनुरोध है कि वह इस प्रकार से टीमों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें कि सर्वे के दौरान भरे गये समस्त सर्वे फार्मो में डाटा की शत प्रतिशत चेकिंग अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर से भी सुनिश्चित हो जाय।

चूँकि वर्तमान में सर्वे चल रहा है अतः यह आवश्यक है कि सर्वे के दौरान सर्वे का कार्य मात्र सर्वे टीम पर ही अंतिम रूप से न छोड़ा जाय बल्कि जनपद स्तर पर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी एवं अन्य जनपद स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर इस बात की भी चेकिंग करायी जाय कि फील्ड में सर्वे का जो कार्य हो रहा है वह सही प्रकार तथा निर्देशित मानकों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इसके लिए जिलाधिकारी अपने स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सही सर्वेक्षण कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा एवं मुख्य विकास अधिकारी इस संबंध में नोडल अधिकारी होंगे।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त

संख्या–1389(1)/26–2–2010, तददिनांक।

1– उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– निदेशक,एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की प्रति समस्त संबंधितों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त